कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / 2020 /

लखनऊ, दिनांक– 23 मार्च,2020

:::: कार्यालय ज्ञाप ::::

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कोरोना (COVID-19) बीमारी को महामारी घोषित किया जा चुका है, जिसके बचाव हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गये हैं कि इस बीमारी के संक्रमण को रोकने हेतु यथा सम्भव जनमानस से सम्पर्क कम किया जाये। अतः ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो छात्र जिस मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उसको अपने संस्थान से ही इन्टर्नशिप प्रशिक्षण कराया जाये। किसी भी छात्र को अन्यत्र जिला चिकित्सालय / प्रदेश के बाहर इन्टर्नशिप की अनापत्ति अग्रिम आदेशों तक प्रदान न की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।